सं. 1/15/2008-पी.एंड पी.डब्ल्यू (ई.)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

लोक नायक भवन, नई दिल्ली,

दिनांक 17.08.2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय : कुटुम्ब पेंशन – केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के आश्रित अशक्त सहोदरों (अर्थात् भाई/बहन) को कुटुम्ब पेंशन का क्षेत्र के विस्तार के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि समय-समय पर इस विभाग द्वारा इस संबंध में जारी विभिन्न आदेशों/अनुदेशों के साथ पठित सी.सी.एस.(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54(4) में वर्तमान प्रावधानों के अनुसार कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्रता के प्रयोजन के लिए सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में कुटुम्ब की परिभाषा में वर्तमान में निम्नलिखित शामिल है :

क) पुरूष सरकारी कर्मचारी के मामले में पत्नी या महिला सरकारी कर्मचारी के मामले में पति;

ख) कानूनी रूप से अलग हुई पत्नी या पति, ऐसे पृथक्करण की स्वीकृति अन्यगमन आधार पर न दी गई हो तथा उत्तरजीवी को अन्यगमन करने का दोषी न ठहराया गया हो;

ग) पुत्र/पुत्री उसके विवाह की तारीख तक अथवा उसके/उसकी जीविकापार्जन शुरू करने की तारीख तक या 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो भी सबसे पहले हो;

घ) अविवाहित/विधवा हो चुकी/तलाकशुदा पुत्री विवाह/पुनर्विवाह की तारीख तक या उसके जीविकोपार्जन शुरू करने की तारीख तक जो भी सबसे पहले हो; तथा

ङ) माता-पिता जो सरकारी कर्मचारी पर पूरी तरह निर्भर हो जब वह जीवित थे बशर्ते कि दिवंगत कर्मचारी ने अपने पीछे न तो विधवा न ही बच्चा छोड़ा हो, इसके अलावा, कुटुम्ब पेंशन के प्रयोजन के लिए निर्भरता मानदण्डों को संशोधित किया गया है तथा इसे इस विभाग के दिनांक 2.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पी.एंड पी.डब्ल्यू (क) द्वारा न्यूनतम कुटुम्ब पेंशन के रूप में तथा इस पर महंगाई राहत के साथ, नियत किया गया है ।

2. इस विभाग में कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्रता के प्रयोजन के लिए 'कुटुम्ब' के दायरे में सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के आश्रित अशक्त सहोदरों (अर्थात् भाई/बहन) को शामिल करने के लिए कुटुम्ब पेंशन के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अनुरोध करने वाले अभ्यावेदन विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं । अपने अनुरोध के समर्थन में अभ्यावेदनकर्ताओं द्वारा पुरजोर ढंग से रखे गए तर्क है कि आश्रित अशक्त सहोदर (अर्थात भाई/बहनें) उस सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद स्वयं अकेले हो जाते है, जिस पर वे उसके/उसकी मृत्यु के पूर्व पूर्णत: निर्भर थे । समाज तथा सरकार द्वारा उनकी देखभाल किए जाने की जरूरत होती है क्योंकि अपने जीवन का प्रबंध करने के लिए कोई साधन नहीं होने से वे असहाय होते हैं ।

3. इन अभ्यावेदनों की अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके इस विभाग में सहानुभूतिपूर्वक जांच की गई है । कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्रता के प्रयोजन के लिए अब परिवार की परिभाषा में सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के आश्रित विकलांग सहोदरों (भाई/बहनों) को शामिल करने का निर्णय लिया गया है । ऐसे अशक्त सहोदर उसी प्रकार तथा उन्हीं अशक्तता संबंधी मानदण्डों के अनुसरण में कुटुम्ब पेंशन के आजीवन के लिए पात्र होंगे जो किसी प्रकार के विकार या मानसिक अशक्तता (मस्तिष्क व्याघात सहित) या शारीरिक रूप से अशक्त या अपंगता से ग्रस्त सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के पुत्र/पुत्री के मामले में सी.सी.एस.(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 में यथा निर्धारित है, ताकि वे 25 वर्ष की आयु पुरी होने के बाद भी अपनी जीविका अर्जित करने में माना जाए ।

4. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से दिनांक 19.2.2009 के यू.ओ.सं. 677/ई-वी/2008 द्वारा जारी किया जाता है ।

5. के जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के कर्मचारियों के संबंध में इन आदेशों लागू होने का संबंध है, ये भारत के महालेखा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के परामर्श से दिनांक 17.7.2009 के यू.ओ.सं. 69-आडिट (नियमावली)/26-2008 द्वारा जारी किए जाते हैं ।

6. सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 को उस सीमा तक संशोधित किया जाता है ।

22/7/09

(रजनी राजदान)
सचिव(पी.एंड पी.डब्ल्यू)

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक